अदालत उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

मु.नं. - 160/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाने बाबत निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 11.04.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
11.04.2022	पत्रावली आज निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वाद पत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 11/04/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
160/2014	2014/215	20.06.2014	11.04.2022

1. हणमान सिंह पुत्र बाल सिंह
2. मोहन सिंह पुत्र बालसिंह
3. विमल कंवर पत्नी हरनाथ सिंह
4. दशरथ सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
5. राम सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
6. रतन सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
7. बिदाम कंवर पत्नी देवी सिंह
8. दिनेश सिंह पुत्र देवीसिंह
9. जगदीश सिंह पुत्र देवी सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम कोटड़ी सिमारला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)।

वादीगण

बनाम

1. **प्रभात्या पुत्र मांगूराम (मृत्तक के स्थान पर)**

1/1 शिवकुरी देवी पत्नि स्व. प्रभात्या

1/2 मूलचन्द पुत्र स्व0 प्रभात्या

1/3 मोहनलाल पुत्र स्व0 प्रभात्या

1/4 प्रेम देवी पुत्री स्व0 प्रभात्या

1/5 कमला देवी पुत्री स्व0 प्रभात्या

2. **भगवाना पुत्र मांगूराम (मृत्तक के स्थान पर)**

2/1 मूली देवी पत्नी स्व0 भगवाना

2/2 ग्यारसीलाल पुत्र स्व0 भगवाना

2/3 संतोषी देवी पुत्री स्व0 भगवाना

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:22 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. नाहरसिंह पुत्र मोहरू पुत्र लिक्षमण

6. जितेन्द्रसिंह पुत्र मोहरू पुत्र लिक्षमण

7. फूली देवी पत्नि मोहरू पुत्र लिक्षमण

8. बाबूलाल पुत्र लिक्षमण

9. अर्जुन पुत्र श्योजीराम (मृत्तक के स्थान पर)

9/1 कमली देवी पत्नी स्व0 अर्जून

9/2 अमीलाल पुत्र स्व0 अर्जून

9/3 किशन पुत्र स्व0 अर्जून

9/4 रामकरण पुत्र स्व0 अर्जून

9/5 रामेश्वरी देवी पुत्री स्व0 अर्जून

9/6 सजना देवी पुत्री स्व0 अर्जून

9/7 रामकौरी देवी पुत्री स्व0 अर्जून

10. बीरबल पुत्र श्योजीराम (मृत्तक के स्थान पर)

10/1 भागली देवी पत्नी स्व. बीरबल

10/2 ग्यारसीलाल पुत्र स्व0 बीरबल

10/3 महेन्द्र पुत्र स्व0 बीरबल

10/4 मुकेश पुत्र स्व0 बीरबल

10/5 बुगली देवी पुत्री स्व0 बीरबल

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

11/04/22

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:22 IST
Reason: SelfAttested

10/6 अनिता देवी पुत्री स्व0 बीरबल

10/7 हंसा देवी पुत्री स्व0 बीरबल

11. गोविन्दराम पुत्र धोंकला (मृत्तक)

12. जुगलाल पुत्र श्योलाराम

13. श्रीराम पुत्र हरलाराम

14. बलराम पुत्र हरलाराम

15. जगदीश पुत्र हरलाराम

16. बाबूलाल पुत्र हरलाराम

17. जयपाल पुत्र हरलाराम

18. पतासी देवी पत्नि हरलाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी जाखड़ावाली तन् ग्राम कोटड़ी (सिमारला)

तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

19. श्योप्रसाद पुत्र मुरलीधर (मृत्तक के स्थान पर)

19/1 परभामा पत्नि स्व0 श्योप्रसाद

19/2 श्याम पुत्र स्व0 श्योप्रसाद

19/3 घनश्याम पुत्र स्व0 श्योप्रसाद

19/4 मुन्नी देवी पुत्री स्व0 श्योप्रसाद

19/5 समता देवी पुत्री स्व0 श्योप्रसाद

जाति ब्राह्मण निवासीगण ढ़ाणी हरदाकावाली तन् ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

20. राधेश्याम पुत्र मुरलीधर

21. सुरेश पुत्र मुरलीधर

22. श्रीराम पुत्र मुरलीधर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:22 IST
Reason: SelfAttested

11/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

23. महेन्द्र पुत्र मुरलीधर

24. बजरंगलाल पुत्र मुरलीधर

25. मालीराम पुत्र रामेश्वर

26. कमली देवी पत्नि रामेश्वर

27. **कन्हैयालाल पुत्र गणेश (मृत्तक के स्थान पर)**

27/1 नर्बदा देवी पत्नी स्व0 कन्हैयालाल

27/2 सांवरमल पुत्र स्व0 कन्हैयालाल

27/3 रामप्रताप पुत्र स्व0 कन्हैयालाल

27/4 धर्मेश पुत्र स्व0 कन्हैयालाल

27/2 संतोष देवी पुत्री स्व0 कन्हैयालाल

जाति ब्राह्मण निवासीगण ढ़ाणी हरदाकावाली तन् ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर

जिला सीकर राज0

28. रामनिवास पुत्र गणेश

29 बंशी पुत्र नन्दलाल

30. आनन्दी देवी पत्नि नन्दलाल– मृत्तका

31. रिछपाल पुत्र जगदीश **(मृत्तक के स्थान पर)**

31/1 संतरा देवी पत्नी स्व0 रिछपाल

31/2 सुरज्ञान पुत्र स्व0 रिछपाल

31/3 अजीत कुमार पुत्र स्व0 रिछपाल

31/4 किरण देवी पुत्री स्व0 रिछपाल

31/5 ममता देवी पुत्री स्व0 रिछपाल

31/6 कलावती देवी पुत्री स्व0 रिछपाल

31/7 लीलू देवी पुत्री स्व0 रिछपाल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:22 IST
Reason: SelfAttested

11/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जाति ब्राह्मण निवासीगण ढाणी हरदाकावाली तन् ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

32. रामस्वरूप पुत्र जगदीश

33. बाबूलाल पुत्र जगदीश

34. सुभाष पुत्र जगदीश

35. चम्पा देवी पत्नि जगदीश

36. दिनेश पुत्र मदनलाल

37. बृजेश पुत्र मदनलाल

38. माली देवी पत्नि मदनलाल

39 रामजीलाल पुत्र नरसिंह

40 सागर पुत्र नरसिंह

41. प्रहलाद पुत्र नरसिंह

42 लालचन्द पुत्र सीताराम

43. पंकज पुत्र सीताराम

44. भगवानी देवी पत्नि सीताराम

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ढाणी हरदाकावाली वाली तन् ग्राम कंचनपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

45. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री दिलीप मंगावा, एड0 वादीगण अभिभाषक

सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 45 की ओर से

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:22 IST
Reason: SelfAttested

<u>वादपत्र बाबत इस्तकरार हक, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

11/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम कोटड़ी सिमारला के पुराने भूमि खसरा नम्बर 555/2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये भूमि खसरा 344 रकबा 0.71 हैक्टर है। जिसकी वर्तमान मे खातेदारी 1/6 हिस्सा की प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के नाम से एंव 1/6 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 5 से 10 के नाम से एंव 1/6 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 11 से 18 के नाम एंव शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 19 ता 44 के स्वंय के एंव इनके मृत्तक बुर्जगान के नाम से कतई गलत रूप से दर्ज है। पूर्व में उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण के पिता, दादा व ससुर मृत्तक बालसिंह के नाम दर्ज थी परन्तु सैटलमेन्ट कर्मचारियो से साजकर उक्त खसरा नम्बर 344 सम्पूर्ण की खातेदारी प्रतिवादीगण एंव इनके पूर्वजो के नाम से गलत दर्ज कर दी गयी। जबकि उक्त भूमि की खसरा गिरदावरियो में भी खातेदार के रूप में वादीगण के पिता, दादा, ससुर मृत्तक बालसिंह के नाम से दर्ज थी। भूमि खसरा 344 रकबा 0.71 हैक्टर सम्पूर्ण पर वादीगण वक्त बुजुर्गान से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। वादीगण की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई ताल्लुक किसी किस्म का ना तो पूर्व में था, ना ही वर्तमान में है, ना ही हो सकता है। वादीगण ने समय–समय पर अपनी उक्त भूमि को अपनी स्वंय की मेहनत व लाखो रूपये लगाकर उन्नत एंव विकसीत कीया हैं तथा वादीगण उक्त भूमि पर वक्त बुजुर्गान के समय से काबिज होने के कारण उक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है, लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम नहीं होने के कारण वादीगण को सख्त हकतल्फी हैं। वादीगण सरकारी सहायता ऋण, अनुदान, किसान केडिट कार्ड वगैरह से वंचित हो रहे हैं एंव खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित हो रहे है तथा वादीगण के विधिक हक अधिकारो पर भी विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी उक्त भूमि की खातेदारी से प्रतिवादीगण एंव इनके मृत्तक बुजुर्गान का नाम हजफ कराकर खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है [illegible] समय मे बदलते परिप्रेक्ष्य के मद्देनजर भूमियो की बेतहाशा बढ़ती कीमते देखकर प्रतिवादीगण [illegible] मन में बेईमानी पैदा हो गयी और वे केवल अपने नाम राजस्व रिकार्ड में वादपत्र की मद नम्बर 1 दर्ज भूमि की खातेदारी होने का नाजायज फायदा उठाना चाहते है। इसी क्रम में प्रतिवादीगण ने दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:22 IST
Reason: SelfAttested

11/04/22
दिलीप सिंह
अधिकारी, श्रीमाधोपुर

15.5.2014 को वादीगण को एहलानिया धमकी दी हैं कि हम अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन शुदा भूमि को दीगर को बैचान करेगें तथा तुम्हारे नाम खातेदारी दर्ज नही करायेगें। अगर प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण को बेदखल कर कब्जा छीन लेगे या रहन, विक्रय, अन्तरण आदि कर देगे या भूमियो को खुर्द–बुर्द कर देगे या कृषि भूमि को अकृषि भूमि मे तब्दील कर देगे तो इससे वादीगण के विधिक हक हकूक जायल होगें तथा वादीगण कृषि भूमि से महरूम हो जावेगे। अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी और वादीगण को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। इसलिये प्रतिवादीगण की उक्त गलत, अवैध, विधि विरूद्ध एंव मनमानी कार्यवाहीं को वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है तथा न्यायहित में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति–आवश्यक है। इसलिये उक्त वादपत्र माननीय न्यायालय हाजा में पेश किया जा रहा हैं। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1, 2, 9 ता 11, 19, 27, 30 व 31 के फौत होने पर कायम मुकामी कार्यवाही की जाकर उनके विधिक वारिसान् को रिकार्ड पर लिया गया। समस्त प्रतिवादीगण व मृत्तकों के वारिसान् की तामील हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण में वादी दिनेश सिंह, रामसिंह, विमल कॅवर के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा साक्ष्य वादीगण में शपथ पत्र पेश हो जाने से वकील वादीगण के द्वारा बहस सुनी जाकर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अवगत कराया कि उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी पूर्व में वादीगण के पिता, दादा व ससुर मृत्तक बालसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। परन्तु सैटलमेन्ट कर्मचारियों से उक्त खसरा नम्बर 344 रकबा 0.71 हैक्टर सम्पूर्ण की खातेदारी प्रतिवादीगण एंव इनके पूर्वजों के नाम से गलत दर्ज कर दी गई। जबकि उक्त भूमियों की खसरा गिरदावरियों में भी खातेदार के रूप में वादीगण के पिता, दादा मृत्तक बालसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा वादीगण उक्त भूमियों पर पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आना तथा उक्त भूमियों पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त या किसी प्रकार का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:22 IST
Reason: Self Attested

11/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ताल्लुक नहीं होना अवगत कराया है। वादीगण एकवर्षी पजेशन के आधार पर उक्त भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादीगण व इनके पूर्वजों का नाम इजाफ कराकर खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी होकर राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज होना न्यायोचित है। वकील वादीगण ने प्रतिवादीगण के बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर व साक्ष्य वादीगण में वादीगण के शपथ पत्र पेश हो जाने से वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया है।

हमने वादीगण अभिभाषक की बहस पर गंभीर मनन किया। पत्रावली अवलोकन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम जमाबंदी आधार जमाबंदी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों में खसरा नम्बर 344 रकबा 0.71 हैक्टर की खातेदारी प्रतिवादीगण नं. 1 ता 44 के स्वयं के नाम से एवं इनके मृतक बुजुर्गान पिता/दादा के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 344 रकबा 0.71 हैक्टर जिसके पुराने खसरा नम्बर 555/2 रकबा तीन बीघा 5 बिस्वा के मूल खसरा नम्बर 555 की खसरा गिरदावरियॉं सम्वत् 2009 से 2018 के उप कृषक के कॉलम में पक्षकारान् वादीगण के पिता, दादा, ससुर मृतक बालसिंह वगै0 बशरह खसरा नम्बर 101 के अनुसार बाल सिंह का नाम खसरा गिरदावरियों में दर्ज रिकार्ड होना स्पष्टतः प्रकट होता है। जिससे वादीगण का उक्त भूमियों पर बुजुर्गान के समय से काबिज काश्त चले आना तथा उक्त भूमियों पर प्रतिवादीगण का कोई कब्जा काश्त या किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं होना प्रकट होता है। प्रतिवादीगण के द्वारा बावजूद असालतन तामीले हो जाने के पश्चात् भी न्यायालय में उपस्थित होकर किसी प्रकार की उजरदारी पेश नहीं किये जाने से भी वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। वादपत्र में प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमियों वादीगण के वक्त बुजुर्गान से होना सिद्ध होता है। जिस बाबत प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का जवाब दावा इत्यादि प्रस्तुत नहीं कि... वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। ... साक्ष्य वादी में पेश शपथ पत्रों से भी वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। जिसके आधार पर वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.04.25 10:32:22 IST
Reason: SelfAttested

11/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर